

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(4)वित्त/राजस्व/2021

जयपुर, दिनांक:-04.10.2021

आज्ञा

राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 31 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर उक्त सेवा के कनिष्ठ सेवा संवर्ग में स्थाई रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि/पद उपलब्धता की तिथि पर वर्ष 2021-22 की रिक्तियों के विरुद्ध उक्त नियमों के नियम 28 ए के उप नियम (7) के तहत चयन के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा के वरिष्ठ सेवा संवर्ग में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम/सर्व श्री	वर्ग	रिक्ति की तिथि
1.	श्री अवधेश कुमार शर्मा	-	01.04.2021
2.	श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा	-	01.04.2021
3.	श्री समदर सिंह	-	01.04.2021
4.	श्री कृष्ण कुमार	-	01.04.2021
5.	श्री कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र श्री उदाराम	-	01.04.2021
6.	श्री बालकिशन अरोड़ा	-	01.04.2021
7.	डॉ. ओम प्रकाश शर्मा	-	01.04.2021
8.	श्री मनोज कुमार मोदी	-	01.04.2021
9.	श्री नरेन्द्र कुमार तातेड	-	01.04.2021
10.	श्री उदाराम जाट	-	01.04.2021
11.	श्री सुधीर यादव	-	01.04.2021
12.	श्री रमेश चन्द मथुरिया	-	01.04.2021
13.	श्री मंगत कुमार मित्तल	-	01.04.2021
14.	श्री हंसराज गुप्ता	-	01.04.2021
15.	श्री मनमोहन गुप्ता	-	01.04.2021
16.	श्री विष्णु कुमार शर्मा	-	01.04.2021
17.	श्री कैलाश चन्द पुरोहित	-	01.04.2021
18.	श्री विनोद कुमार यादव	-	01.04.2021
19.	श्री अशोक कुमार गुप्ता	-	01.04.2021
20.	श्री सोहन लाल गुप्ता	-	01.04.2021
21.	श्री लेखराज	-	01.04.2021
22.	श्री भैरूरतन छंगाणी	-	01.04.2021
23.	श्री चेतन कुमार शर्मा	-	01.04.2021
24.	श्री ओमप्रकाश गाडोदिया	-	01.04.2021
25.	श्री भंवर लाल	-	01.04.2021
26.	श्री कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र श्री हेमराज	-	01.04.2021
27.	श्री गिरीश मल्होत्रा	-	01.04.2021
28.	श्री कैलाश चन्द चौधरी	-	01.04.2021

29.	श्री सुरेन्द्र कुमार तातेड	--	01.04.2021
30.	श्री भरत लाल मीना	अजजा	01.04.2021
31.	श्री इन्द्रभान मीणा	अजजा	01.04.2021
32.	श्री प्रदीप कुमार	--	01.04.2021
33.	श्री रामसिंह मीणा	अजजा	01.04.2021
34.	श्री दुर्गाप्रसाद दायमा	अजा	01.04.2021
35.	श्री रंगलाल बैरवा	अजा	01.04.2021
36.	श्री मालाराम	अजा	01.04.2021
37.	श्री मदन लाल खटीक	अजा	01.04.2021
38.	श्री मांगेलाल मौर्य (सेवानिवृत्त)	अजा	01.04.2021
39.	श्री रामनारायण मीणा	अजजा	01.04.2021

पदोन्नत अधिकारियों में से सेवारत अधिकारी अपने वर्तमान पदों को यथाआवश्यकता अस्थाई तौर पर क्रमोन्नत/क्रमावनत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे।

पदोन्नत अधिकारियों में से जिन अधिकारियों के इस विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2021 द्वारा पदस्थापन आदेश जारी कर दिये गये हैं वे अधिकारी अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करेंगे।

पदोन्नत अधिकारियों के पदोन्नति आदेश उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से प्रभावी होंगे तथा वे उक्त तिथि को कार्यग्रहण कर सूचना इस विभाग को प्रेषित करेंगे।

पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(नीलेश शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:--

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान, जयपुर।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/II) विभाग।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष।
12. संबंधित अधिकारी।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव